



उत्तर प्रदेश शासन

उत्तर प्रदेश के पिछड़ी जाति के लिए जाति प्रमाण पत्र

जिला : मुरादाबाद
 नक्सील : पुस्तावाद
 आवेदन क्र० : 16040030109015
 प्रमाणपत्र क्र० : 042163029714

जारी दिनांक: 09/10/2016



प्रमाणित किया जाता है कि	श्री अंकित
पुत्र/पुत्री	श्री भरेश कुमार
माता का नाम	श्रीमती रुक्मनी देवी
निवासी	गंगा मन्दिर के पीछे जोगियां गली
प्राप्त	
तहसील	मुरादाबाद
जिला	मुरादाबाद

उत्तर प्रदेश राज्य की नाई जाति के व्यक्ति हैं। यह उत्तर प्रदेश लोक सेवा अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों तथा अन्य पिछड़ी वर्गों के लिए आरक्षण आधिनियम १९९४ को अनुसूची एक के अन्तर्गत मान्यता प्राप्त है।

यह भी प्रमाणित किया जाता है कि श्री अंकित पूर्वोक्त अधिनियम १९९४ (यथा संशोधित) की अनुसूची २ (जैसा कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा) अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़ी वर्गों के लिए आरक्षण (संशोधन) अधिनियम २००१ द्वारा प्रमाणित किया गया है गंत जो २००० लोक सेवा अनुसूचित जनजातियों अनुसूचित जनजातियों और यन्हा पिछड़ी वर्गों के लिए आरक्षण (संशोधन) अधिनियम २००२ एवं शासनादेश संख्या 22/16/92 टी० सी०-III, दिनांक २३ अक्टूबर २००८ द्वारा संशोधित की गई है, से आच्छादित नहीं है। इनके माता-पिता की निरन्तर तीन वर्षों की अवधि के लिये सकल वार्षिक आय आठ लाख रुपये या इससे अधिक नहीं है तथा इनके पास धन कर अधिनियम १९५७ में यथा विहिप द्वृष्ट सीमा से अधिक सम्पत्ति नहीं है।



जारी कर्ता केन्द्र: सौ १० फाजिल, फाजिल साइबर कैफे
 पद: सौ १० फाजिल, फाजिल साइबर कैफे
 स्थान: फाजिल कैफे, फाजिल साइबर कैफे, सामने मुरादाबाद, Moradabad
 दिनांक: 19/10/2016
 हस्ताक्षर संकेत: *M. Sanjay Kumar*

Digitaly Signed by
 SANJAY KUMAR
 O=UP GOVERNMENT,
 OU=REVENUE,
 C=IN,CN=SANJAY
 KUMAR, S=UTTAR
 PRADESH

सक्षम अधिकारी/तहसीलदार
 डिजिटल हस्ताक्षरित
 मुरादाबाद, मुरादाबाद
 दिनांक: 09/10/2016